न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश,बहराइच।

उपस्थितः **श्री जलाल मोहम्मद अकबर, (उच्चतर न्यायिक सेवा),**

JO Code No. UP 2691

जमानत प्रार्थना–पत्र सं०–1569/12A/2026

UPBH010041682026

सिराज, उम्र 38 वर्ष, पुत्र कज्जन, निवासी मोहल्ला बड़ीहाट, थाना को० नगर, जनपद बहराइच।

------प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

सरकार उ०प्र० द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता, बहराइच।

------अभियोगी

सत्र परीक्षण संख्या 81/2014
मुकदमा अपराध सं० 276/2025
धारा 307, 504 भा०दं०सं०
थाना कोतवाली नगर, जनपद बहराइच।

जमानत आदेश

1– यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त सिराज की ओर से मुकदमा सत्र परीक्षण संख्या 81/2014, मु०अ०सं० 276/2025, धारा 307, 504 भा०दं०सं० , थाना कोतवाली नगर, जनपद बहराइच के मामले में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभिुयुक्त पूर्व से जमानत पर है।

2– जमानत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में उपरोक्त मुकदमें में जेल गया था तथा प्रार्थी/अभियुक्त को श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 29.09.2014 को मंजूर की गयी थी और प्रार्थी/अभियुक्त रिहा होकर उपरोक्त न्यायालय पर हाजिर होता रहा। प्रार्थी/अभियुक्त बीमार हो जाने के कारण उपरोक्त मुकदमें में गैर हाजिर हो गया और प्रार्थी/अभियुक्त को पेशी की जानकारी नहीं हो सकी, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी हो गया। प्रार्थी/अभियुक्त ने जानबूझकर उपरोक्त मुकदमें में न उपस्थित होने की भूल नहीं की है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 14.05.2026 को गैर जमानतीय वारण्ट पर पुनः गिरफ्तार होकर उपरोक्त मुकदमें में जेल में बन्द हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पाने के उपरान्त प्रत्येक पेशी पर न्यायालय पर हाजिर होता रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है और उसका कोई पैरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गयी है। न्यायहित में प्रार्थी/अभियुक्त को पूर्व में दाखिल बन्धपत्रों के आधार पर मुचलके पर रिहा किया जाये।

Digitally signed by JALAL MOHAMMAD AKBAR
Date: 2026.07.14 17:06:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3– राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया और कहा गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः अनुपस्थित हो जायेगा और मुकदमे के निस्तारण में विलम्ब होगा। अतः उसकी जमानत निरस्त की जाये।

4– मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

5– पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था। न्यायालय पर तारीख पेशी पर उपस्थित न आने के कारण उसके विरुद्ध गैर जमानतीय गिरफ्तारी अधिपत्र जारी कर दिया गया था इसी आदेश के क्रम में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन द्वारा कोई दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनाँक 14.05.2026 से जिला कारागार बहराइच में निरुद्ध है।

अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत न्यायालय की राय में प्रार्थी/अभियुक्त सशर्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त सिराज का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को मु० रू० 50,000/– (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो नवीन जमानतें न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल करने पर व निम्न शर्तों की अण्डर टेकिंग दाखिल करने पर जमानत प्रदान की जाती हैः–

1– प्रार्थी/अभियुक्त इस केस में नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय पर उपस्थित रहेगा।

2– अभियोजन साक्षियों के उपस्थित होने पर वह निरन्तर सहयोग करेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त मामले के त्वरित निस्तारण में सहयोग करेगा।

(जलाल मोहम्मद अकबर)
षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच
JO Code No. UP 2691

दिनांकः 14.07.2026